न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
23-6-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-7-23 को पेश हो।
20-7-23	~~पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-7-23 को पेश हो।~~
20.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1013/भू.अ./2023 दिनांक 23.06.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व राजीनामा अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। अतः वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर [illegible] वादपत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् [illegible] गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जा[illegible] डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव व राजीनामा को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

... हुक्म	भरु राम बनाम कमलेश हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज धारा मु.नं. - 60/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रकरण मे मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण सख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
60 / 2022	2022 / 142	24.05.2022	20.07.2023 (अंतिम [illegible]

उनवान प्रकरण

1. पप्पूराम उर्फ जगदीश पुत्र नरसाराम आयु 50 वर्ष जाति रेगर निवासी मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. रमेश पुत्र देवाराम आयु 42 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम आलिसर तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

— वादीगण

बनाम्

1. कमलेश पुत्र बंशी आयु 47 वर्ष
2. कालू पुत्र बंशी आयु 45 वर्ष
3. पवन पुत्र बंशी आयु 41 वर्ष
4. महेश पुत्र बंशी आयु 38 वर्ष
5. ममता पुत्री बंशी आयु 35 वर्ष
6. सुन्दर देवी पुत्री बंशी आयु 32 वर्ष
7. सुशीला पुत्री बंशी आयु 25 वर्ष
8. संज्या देवी पत्नी बंशी आयु 60 वर्ष
9. कालू पुत्र मुरली आयु 46 वर्ष
10. रामू पुत्र मुरली आयु 40 वर्ष
11. लक्ष्मणराम पुत्र मुरली आयु [illegible] वर्ष
12. सुरेश पुत्र मुरली आयु 32 वर्ष
13. गुलाबी पत्नी मुरली आयु 65 वर्ष

जाति समस्त बलाई निवासीगण मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

14 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

--- प्रतिवादीगण ---

उपस्थितः–

श्री गिरीराज शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री लोकेन्द्र सिंह एड0, प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 व 8 की ओर से अभिभाषक
श्री रामावतार सैनी–1 एड0, प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 की ओर से अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से।

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2417 व 2418 कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमियों में वादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा व वादी न0 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण न0 1 ता 8 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण न0 9 ता 13 का 1/4 हिस्सा हैं। वादीगण उक्त वर्णित भूमियों के काबिज व खातेदार काश्तकार है व मौके पर अस्थाई रूप से बांट–बांट कर काश्त करते हैं व अपने हिस्से अनुसार भूमिया की काश्त करते हैं। जिसमें पश्चिम तरफ की भूमि 1/2 हिस्से में वादीगण काश्त कर रहे है किन्तु पिछले 4–5 माह से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने लग गये हैं तथा उक्त लोग संख्याबल में अधिक होने से वादीगण को काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न करने लग गये हैं व वादीगण को बेदखल कर देने की धमकी देने लग गये हैं। वदग्रस्त भूमियों को अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर भूमियों के विशिष्ट भाग पर कब्जा आदि कराने की धमकी देने लग गये हैं। वादीगण ने भूमियो का बंटवारा करने व अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाने के लिए प्रतिवादीगण को कहने पर उक्त लोग बंटवारा करने से भी मना कर दिया हैं, कहने सुनने से मान नही रहे है। यही कारण है कि वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

पेश करना आवश्यक हो गया है। बिनाय दावा अर्सा करीब 4-5 माह से वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत करने से व उक्त भूमियो को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर भूमियों के विशिष्ट भाग पर कब्जा कराने की धमकी देने से व वादीगण को बेदखल कर देने की धमकी देने से एव भूमियो के बटवारा करने से मना कर देने से पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। दावा हस्ब कानून मियाद अन्दर पेश हैं। प्रतिवादीगण न0 14 से हालाकि कोई प्रत्यक्ष विवाद नही हैं। जो आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया हैं। वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि ख0न0 2417 व 2418 कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स बटवारा किया जाकर वादी न0 1 का 1/4 व वादी न0 2 का 1/4 हिस्सा संतुलनात्मक व रास्ते की सुविधा सहित व हिस्से अनुसार रकबे सहित बांटकर अलग राजस्व रिकार्ड बनाये जावे व तद्नुसार राजस्व नक्शे मे अकित किये जाने तथा प्रतिवादीगण न0 1 ता 13 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाये जानें कि वे बंटवारा होने के पश्चात् वादीगण के बंटवारे में आने वाली भूमि में कोई दखलअंदाजी नही करें, ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे, ना ही वादीगण को बेदखल करे व ना ही उक्त भूमियो को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर विशिष्ट भू–भाग पर कोई कब्जा आदि करे या करावे व ना ही उक्त भूमियों पर कोई कब्जा या पक्का निर्माण करे या करावे। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न. 1, 3, 4, 7 व 8 की ओर से श्री लोकेन्द्र सिह एड0 ने व प्रतिवादी संख्या 9 से 13 की ओर से श्री रामावतार सैनी–1 एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 14 की तामील जरिये रजि[illegible] हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी सख्या 2, 5, 6, 1[illegible] कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादीगण ने उपस्थित होक[illegible] राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान श्री अनिल महर्षि एड0 ने की एवं प्र[illegible]दीगण सख्या 9 ता 13 की पहचान श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रामावतार सैनी प्रथम एड0 के द्वारा की जाने एव पक्षकारान के द्वारा राजीनामा को सुन व समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मसूख किये जाने एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.07.2022 को बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को जवाबदेही का अवसर दिया गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया। जिसका जवाब दरख्वास्त अभी तक पेश नहीं हुई है। प्रकरण में वकील प्रतिवादी श्री लोकेन्द्र सिंह एड0 ने प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 5 ता 8 की ओर से "No Instruction" होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। जिसके आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 5 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर वादपत्र को स्वीकार कर लिये जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 08.02.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 568/रीडर/2023 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1013/भू.अ./2023 दिनांक 23.06.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को आज्ञप्ति डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 23.06.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रु. में)
1	1. कमलेश कुमार पुत्र बंशी जाति बलाई हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार	2417	1.2800	बारानी 3	2.38
	2. कालूराम पुत्र बंशी जाति बलाई हिस्सा 1/32 सा. देह खातेदार 3. कालूराम पुत्र मुरली हिस्सा 1/20 4. गुलाबीदेवी पत्नि स्व0 मुरली हिस्सा 1/20 5. पप्पूराम उर्फ जगदीश पुत्र नरसाराम हिस्सा 1/4 6. पवन कुमार पुत्र बंशी हिस्सा 1/32	2418	0.6600	बारानी 3	1.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	7. ममतादेवी पुत्री बंशी हिस्सा 1/32 8. महेश कुमार पुत्र बंशी हिस्सा 1/32 9. रमेशचन्द पुत्र देवाराम हिस्सा 1/4 10. रामू पुत्र मुरली हिस्सा 1/20 11. लक्ष्मणराम पुत्र मुरली हिस्सा 1/20 12. संज्यादेवी पत्नि स्व0 बंशी हिस्सा 1/32 13. सुन्दरदेवी पुत्री बंशी हिस्सा 1/32 14. सुरेशकुमार पुत्र मुरली हिस्सा 1/20 15. सुशीलादेवी पुत्री बंशी हिस्सा 1/32 समस्त जाति बलाई सा0 देह खातेदार				
	योग खाता	किता – 2	1.9400	—	3.6100

20/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. पप्पूराम उर्फ जगदीश पुत्र नरसाराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति रैगर सा0 देह	2417 / 1 2418 / 1	0.24 0.24	बारानी–3 बारानी–3	
	योग खाता	किता – 2	0.48	बारानी–3	
2	1. रमेशचन्द पुत्र देवाराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा निवासी अलिवास चाकसू खातेदार	2417 / 2 2418 / 2	0.24 0.24	बारानी–3 बारानी–3	
	योग खाता	किता – 2	0.48	बारानी–3	
3	कमलेश कुमार पुत्र बंशी हिस्सा 1 / 16, कालूराम पुत्र बंशी हिस्सा 1 / 16, पवन कुमार पुत्र बंशी हिस्सा 1 / 16 ममता पुत्री बंशी हिस्सा 1 / 16 महेश कुमार पुत्र बंशी हिस्सा 1 / 16 संज्यादेवी पत्नी बंशी हिस्सा 1 / 16 सुन्दर देवी पुत्री बंशी हिस्सा 1 / 16 सुशीला देवी पुत्री बंशी हिस्सा 1 / 16 कालूराम पुत्र मुरली हिस्सा 1 / 16	2417 / 4 2418 / 3	0.78 0.18	बारानी–3 बारानी–3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	गुलाबदेवी पत्नी मुरली हिस्सा 1/10 रामू पुत्र मुरली हिस्सा 1/10 लक्ष्मणराम पुत्र मुरली हिस्सा 1/10 सुरेश कुमार पुत्र मुरली हिस्सा 1/10 समस्त जाति बलाई सा0 देह			
	कुल योग	किता–2	0.96	बारानी–3
4.	बदस्तुर जमाबंदी यथावत	2417/3	0.02	बारानी–3

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1013/भू.अ./23 दिनांक 23.06.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested